न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 56 / 2024 निर्णय दिनांक 20-2-2026
जीसीएमएस संख्या (2024 / 424)

1. बृजलाल पुत्र धोकलराम जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. मीरा पत्नी बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. नेतराम पुत्र श्री केशूराम जाति जाट निवासी झोधड़ा तारानगर जिला चुरू।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।
3. बजरंगलाल पुत्र पोकरराम जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
4. शांति देवी पत्नी रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 21–06–2024
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री श्रवण कुमार मेघवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 21–06–2024 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.ए. के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि अपीलांट संख्या 2 के पति अपीलांट संख्या 1 के नाम बतौर टी.सी. आवंटन से चक 1 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 219/10 के किला नम्बर 1 ता 19, 21, 23 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 219/18 के किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 12, 19 ता 21 की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर अपीलांटस की ढाणी, कुण्ड बना हुआ है व अपीलांटस अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। टी.सी. आवंटन के समय मौके पर तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दिये गये कब्जा अनुसार काबिज होकर आज दिनांक तक लगातार काश्त करते चले आ रहे है। फिर भी अपीलांटस की टी.सी. आवंटित भूमि पर बिना मौका पर कब्जा काश्त जॉच किये बिना मनमाने ढंग से चक 1 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 219/10 के किला नम्बर 2 ता 9, 13 ता 19, 23 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 219/18 के किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 12, 19 ता 21 की भूमि पर कब्जा काश्त होते हुए भी अपीलांटस के नाम से मात्र चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 219/10 के किला नम्बर 1 ता 19, 21, 23 ता 25 की भूमि की किला फिटिंग की गई जिसके अपीलांटस दुरूस्ती करवाने के पूर्ण अधिकारी है तथा इसके साथ ही अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25–01–2022 को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई व अपीलाटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका की रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु मौका रिपोर्ट नही भिजवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलाटस के प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण कर दिया गया। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त सुनवाई का अवसर नही दिया गया। तथा बिना बहस के मनमाने ढग से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कथन करते हुए कि अपीलांट के दादा के कब्जा काश्त की भूमि जबकि अपीलांटस द्वारा अपने टी.आई. प्रार्थना पत्र में स्वयं की टी.सी. आवंटित भूमि बताई है फिर भी विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये मनमाने तरीके से यह कहकर कि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वाद कारण की दिनांक अंकित नही है सरासर गलत है क्योकि अपीलांटगण द्वारा अपने वाद पत्र में दिनांक 13–01–2022 को वाद कारण हासिल होने बाबत लिखित कथन किया है। वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट का उक्त भूमि पर पूर्व का आवंटन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, बज्जू दिनांक 21–06–2024 निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 1 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 219/18 की 11 बीघा 51 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विशेष आवंटन में आवंटित हुई। दिनांक रेस्पोडेन्ट को दिनांक 14–12–2021 को उक्त भूमि की खातेदार प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नेतराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बैचान जरिये रजिस्टर्ड बैनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को किया गया। तथा मौके पर वास्तविक कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को सुपूर्द कर दिया गया। उसी दिन से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 उक्त भूमि पर शान्तिपूर्ण तरीके से निवास कर रहे है। वादग्रस्त भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो चुका है तथा जमाबंदी में भी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। अपीलांट द्वारा गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया है। अपीलांट द्वारा टी.सी आवंटन से संबंधी कोई रिकॉर्ड पेश नही किया है। अपीलांट द्वारा गलत फीटिंग होने का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया है, परन्तु अपीलांट द्वारा सूची नम्बर 4 पेश नही की है। रेस्पोडेन्ट नेतराम द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर उक्त भूमि का बैचान करने के पश्चात दावा पेश कर स्थगन लिया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे दावा डिक्री हो सके। रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है इसलिए रिकॉर्डेड खातेदार को विरूद्ध स्थगन जारी नही किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2012 पेज 435, सीसीसी 2014(3) पेज 734, सीसीसी 2022(4) पेज 99, सीसीसी 2024(2) पेज 633 प्रस्तुत किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में वादगत् भूमि तहसील बज्जू के चक 1 आर. एम. के मुरब्बा नम्बर 219/10 के किला नम्बर 2 ता 9, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 17 बीघा व मुरब्बा नम्बर 219/18 के किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 12, 19 ता 21 कुल 12 बीघा` बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी के धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र को खारिज किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने हस्तगत अपील इस न्यायालय में धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की है।

अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा द्वारा यह विनिश्चय किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर विचारण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है अथवा नही? क्या अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित की गई है अथवा नही?

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर विचारण किया गया।

अपीलांट/प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका आधार अपीलांट द्वारा यह लिया गया है कि विवादित आराजी चक 1 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 219/10 तथा 219/18 अपीलांट को टी.सी. आवंटित भूमि है। जिस पर अपीलांट काबिज है। तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से अपीलांट के नाम मात्र 219/10 की भूमि की ही किला फिटिंग की गई। इस गलत किला फिटिंग को अपीलांट दुरूस्त करवाने का अधिकारी है और तब तक इस भूमि पर स्थगन पाने का अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन पश्चात इस संबंध में इस न्यायालय का विनम्र मत यह है कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली में मुरब्बा नम्बर 219/18 के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो कि यह भूमि कभी अपीलांट को आवंटित की गई हो। अपीलांट द्वारा सूची नम्बर 4 अथवा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे विवादित भूमि की गलत फिटिंग होना प्रथम दृष्टया साबित होता हो। अपीलांट प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे। रेस्पोडेन्ट इस भूमि के खातेदार काश्तकार है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के पक्ष में बनता है। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे कि विवादित आराजी पर उसका विधिक कब्जा होना साबित हो। दस्तावेजी साक्ष्यो के अभाव में सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के पक्ष में नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से खातेदार अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित हो सकता है। इस स्थिति में अपूर्णनीय क्षति भी रेस्पोडेन्ट को संभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दूओं का विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही होने से इसके हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 20-02-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर